रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17, 1988/ भाद्र 26, 1910

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 1988/BHADRA 26, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 729 .—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुर तथा त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1988 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक और उसके अंतर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"मणिपुर--त्रिपुरा"

1	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	51
	मणिपुर सरकार के अधीन पद	31
	पुलिस महानिरीक्षक	1
	पुलिस उप-महा निरीक्षक (ऑपरेशन और ए. पी.)	1
	पुलिस उप-महा निरीक्षक	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक (सी. आई. डी.)	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक (आपरेशन)	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक (सम्भारिकी आवास एवं कल्याण)	1
	पुलिस अधीक्षक	8
	पुलिस अधीक्षक (सी. आई. डी.)	1
	पुलिस अधीक्षक (अपराध)	1
	पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	1

2246 GI/88—1

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1988

सा.का.नि. 737 :--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध में ज्येष्ठ वित्तीय अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (ज्येष्ठ वित्तीय अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वित्तीय अधिकारी	1 (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (1) ऐसे अधिकारी जो किसी संगठित लेखा सेवा में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या (2) जिन्होंने संगठित लेखा सेवा में 2200—4000 रुपए वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) किसी संगठित लेखा विभाग से ऐसे लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
लागू नहीं होता	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा

[संख्या 310/38/87-बी.डी.)]

वी.के. अरोड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th September, 1988

G.S.R. 737.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Financial Officer in the Civil Construction Wing of All India Radio, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Senior Financial Officer) Recruitment Rules 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Gofernment from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-Selection post
1	2	3	4	5
Senior Financial Officer	1* (1988) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & Percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
11	12	13	14
By transfer on deputation	Transfer on Deputation : (i) Officers holding analogous posts on regular basis in any of the Organised Accounts Services; or (ii) 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200—4000 of Organised Accounts Services; or (iii) Audit/Accounts Officers from any of the Organised Accounts Departments with 7 years regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/departments of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years)	Not applicable	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 310/38/87-B(D)]

V.K. ARORA, Under Secy.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(मुख्य अभियन्ता एवं प्रशासक का कार्यालय)

अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य

पोर्ट ब्लेयर, 17 अगस्त, 1988

सा.का.नि. 738.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के कार्यान्वयन में निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के 80% से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है।

उप मुख्य अभियंता का कार्यालय
लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
कारापरम्बा कालीकट

[फाइल सं. अलबनिका/राजपत्र/5(23)/88]

म. ज्ञानओलिवु, मुख्य अभियंता एवं प्रशासक]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Office of the Chief Engineer & Administrator)

Andman Lakshadweep Harbour Works

Port Blair, the 17th August, 1988

G.S.R. 738.—In pursuance of Sub-Rule 4 under Rule 10 of the Official Languages (use for Official purpose of the Union) Rules 1976, the undermentioned Central Government Office is hereby notified as an Office having 80% of the employees with working knowledge of Hindi.

"The Office of the Deputy Chief Engineer,
Lakshadweep Harbour Works,

Ministry of Surface Transport,
Karaparamba,
Calicut,
Kerala".

[No ALHW/Gazette/5(23)/88]

M. GNANAOLIVU, Chief Engineer & Administrator